F.No.- CSU-LKO/2024-2025/Dir/01/

केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय, लखनऊ परिसर

विशाल खण्ड–4, गोमती नगर, लखनऊ

सूचना – 85

दिनांक– 25.09.2024

1 सभी छात्रों, कर्मचारियों, सुरक्षाकर्मियों एवं परिसर के अन्दर आवासीय भवनों में निवास कर रहे पारिवारिक सदस्यों को सूचित किया जाता है कि छात्रावास में रहने वाले छात्र दिनाक 15 अक्टूबर, 2024 से मोटर साईकिल, स्कूटर आदि वाहन परिसर/छात्रावास में नहीं रखेंगे। परिसर/छात्रावास में दो पहिया/चार पहिया वाहन पाए जाने पर सम्बन्धित छात्र को छात्रावास से निष्कासित करने की प्रक्रिया की जाएगी।

2 ऐसा देखा जा रहा है कि छात्रावासीय छात्र रात में बाउण्ड्रीवाल कूदकर अन्दर प्रवेश करते हैं। ऐसा करते पाए जाने पर उक्त छात्र को निष्कासित करते हुए पुलिस कार्यवाही की जायगी।

3 प्राक्शास्त्री प्रथम वर्ष, प्राक्शास्त्री द्वितीय वर्ष एवं शास्त्री प्रथम वर्ष के छात्र शाम 7:30 तक परिसर के अन्दर आ जाएंगे। यदि किसी विशेष परिस्थिति में 7:30 से बाद भी बाहर रहना अवश्यक है, तो वार्डेन से पूर्वानुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

4 छात्रावासीय अन्य छात्र रात्रि 10:00 बजे के पूर्व अवश्य छात्रावास में वापस आ जायेंगे। अपरिहार्य कारणवश रात्रि 10:00 बजे के बाद छात्रावास से बाहर रहने के लिए वार्डेन की अनुमति अनिवार्य होगी।

5 छात्रावास से घर या अन्यत्र जाने की सूचना लिखित रूप में वार्डेन के देनी होगी। बिना लिखित सूचना के यदि कोई छात्रावासीय छात्र छात्रावास में रात को वापस नहीं आते हैं, ऐसी स्थिति में थाने में गुमशुदगी लिखाई जा सकती है। इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी छात्र की होगी।

6 महिला छात्रावास में निवास कर रही छात्राएं शाम 7:00 बजे से पूर्व अनिवार्य रूप से छात्रावास में वापस आ जाएंगी।

7 पुरुष छात्रावास के लिए उपरिलिखित नियम महिला छात्रावास के लिए भी लागू हैं।

8 छात्रावासीय छात्र/छात्राएं अपने कक्ष की नियमित सफाई करेंगे। आकस्मिक निरीक्षण के दौरान यदि कक्ष में स्वच्छता नहीं पायी जाएगी तो आर्थिक दण्ड छात्रावास प्रशासन द्वारा दिया जा सकता है।

9 कोई भी छात्र/छात्राएं मेस से भोजन लेकर अपने कक्ष में नहीं जायेंगे। छात्रावास में कार्यरत कर्मचारी, मेट्रन, सुरक्षाकर्मी इसे सुनिश्चित करेंगे।

10 पान, गुटखा आदि निषिद्ध पदार्थ यदि किसी के प्रकोष्ठ में या प्रकोष्ठ के बाहर पाए जायेंगे तो उन्हें आर्थिक दण्ड/निष्कासन किया जा सकता है।

11 कक्षा के समय छात्रावास में रहना, पढ़ने के लिए कक्षा में नहीं आना, कक्षा के समय परिसर से बाहर घूमना, परिसर या परिसर से बाहर घूमते रहना आदि की स्थिति में सम्बन्धित छात्र का छात्रावास का आवण्टन निरस्त कर दिया जायगा।

12 सभी सुरक्षाकर्मी और छात्रावास से सम्बन्धित कर्मचारी यदि ड्यूटी प्वाइंट पर समय पर उपस्थित नहीं रहेंगे, तो उस दिन का वेतन भुगतान नहीं किया जायगा।

13 सभी सुरक्षाकर्मियों को निर्देश दिया जाता है कि कोई भी लावारिश गाड़ी परिसर में नहीं रहने दें, शिथिलता बरतने पर सुरक्षाकर्मी के विरुद्ध पुलिस कार्यवाही की जायगी।

(प्रो. सर्वनारायण झा)
निदेशक

प्रतिलिपि–

1 उपर्युक्त को सूचनार्थ
2 प्रो. गुरुचरण सिंह नेगी, सह–निदेशक
3 सूचना पट्ट भरद्वाज छात्रावास, गार्गी छात्रावास
4 छात्रावास सञ्चिका
5 श्री वेद प्रकाश, LDC को सम्बद्ध सञ्चिका के लिए
6 प्रो. गुरुचरण सिंह नेगी, समन्वयक, IQAC
7 वेबसाइट पर अपलोड हेतु श्री मुकुल कुमार मिश्र, तकनीकी सहायक
8 निदेशक कार्यालय प्रति